


उत्तराखण्ड शासन  
शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)  
संख्या-1366 / XXIV(1) / 2010-45 / 2008T.C.,  
देहरादून: दिनांक: 16 सितम्बर, 2010


अधिसूचना

राज्यपाल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 2009 की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये एतद्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल को प्रारंभिक शिक्षा के लिये पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत करते हैं।

  
(मनीषा पवार)  
सचिव।

संख्या- / XXIV(1) / 2010-45 / 2008T.C. / तददिनांक।


प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की हरिद्वार को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुसंध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
  
(मनीषा पवार)  
सचिव।

संख्या- / XXIV(1) / 2010-45 / 2008T.C. / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, मयूर विहार, देहरादून।
3. अपर निदेशक, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(संजीव कुमार शर्मा)  
अनुसचिव।  
o/c